

राजस्थान सरकार

कार्यालय आयुक्त, क्षेत्रीय विकास, इन्दिरा गांधी नहर परियोजना, बीकानेर।
क्रमांक: प017(3955) आक्षेवि/रेगु/2016/1363 दिनांक : 26 मार्च, 2016

मुख्य अभियन्ता,
जल संसाधन (उत्तर)
हनुमानगढ़ जं०।

विषय:- रबी 2015-16 में इन्दिरा गांधी नहर परियोजना की नहरों को दिनांक 28.03.16 सांय 6.00 बजे से 06.04.16 प्रातः 6.00 बजे तक, चलाने हेतु समूहों का विवरण एवं चक्रीय कार्यक्रम
प्रसंग:- मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन (उत्तर) हनुमानगढ़ जं० का पत्र क्रमांक एफ 4/रेगु/906 दिनांक 25.03.2016

महोदय,

वर्तमान में इन्दिरा गांधी नहर परियोजना में फसल रबी 2015-16 हेतु प्रभावी चक्रीय कार्यक्रम जो कि इस कार्यालय के पत्रांक 201-202 दिनांक 19.03.2016 द्वारा 126-127 दिनांक 19.2.2016 के क्रम में जारी किया गया था, की निरन्तरता में आपके प्रासंगिक पत्र द्वारा प्रस्तुत चक्रीय कार्यक्रम जो कि 28.03.16 सांय 6.00 बजे से दिनांक 06.04.16 प्रातः 6.00 बजे तक तीन समूहों में से एक समूह में सात रोजा बारी सिंचाई हेतु पानी उपलब्ध करवाने बाबत है, पर मुख्य अभियन्ता, इन्दिरा गांधी नहर परियोजना, बीकानेर एवं अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, इन्दिरा गांधी नहर परियोजना, जैसलमेर से प्राप्त सहमति के आधार पर एतद् द्वारा अनुमोदन किया जाता है।

इन्दिरा गांधी नहर परियोजना की नहरों को चलाने हेतु अनिवार्य आवश्यकता एवं ग्रुप पूर्व में जारी कार्यक्रम अनुसार ही होंगे एवं समूहों की वरीयता निम्नानुसार होगी -

क्रसं	अवधि (इंगामुन की आरडी 620)	ग्रुपों का वरीयता समूह		
1	28.03.2016 (सायः 6 बजे) से 06.04.2016 (प्रातः 6 बजे) तक	ब	स	अ

अनुमोदित चक्रीय कार्यक्रम में किसी भी स्तर पर कोई भी परिवर्तन अधोहस्ताक्षरकर्ता की पूर्व अनुमति बिना नहीं किया जावेगा।

इन्दिरा गांधी फीडर एवं इन्दिरा गांधी मुख्य नहर तथा इनसे निकलने वाली समस्त नहरों के हैड रेगुलेटरों पर निर्धारित मात्रानुसार पानी उपलब्ध करवाने का उत्तरदायित्व अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, सतर्कता एवं रेगुलेशन इंगानप, बीकानेर का होगा।

संबंधित मुख्य अभियन्तागण इस चक्रीय कार्यक्रम का स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशन करवाकर एवं विभागीय स्तर पर भी जन साधारण की जानकारी हेतु व्यापक प्रचार प्रसार करवाना सुनिश्चित करेंगे। अनिवार्य आवश्यकता एवं प्रत्येक समूह हेतु वांछित जल निर्धारित मात्रा से कम पानी उपलब्ध होने की स्थिति में पानी की कमी का वहन इंगानप स्टेज-प्रथम व द्वितीय में अनुपातिक रूप से किया जाना भी सुनिश्चित किया जावे।

अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, इंगानप, जैसलमेर द्वारा जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की मांग अनुसार आगामी अप्रैल माह में प्रस्तावित नहरबंदी के मध्यनजर बाड़मेर लिफ्ट में पीने के पानी हेतु अस्थाई स्वीकृत अतिरिक्त 40 क्यूसेक पानी, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की मांग अनुरूप उक्त सीमा तक उन्हें देय होगी।

सिंचाई हेतु जल उपलब्धता की समीक्षा की जाकर नहरों में पानी चलाये जाने के चक्रीय कार्यक्रम के प्रस्ताव समय पर प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करावें ताकि आगामी चक्रीय कार्यक्रम समय पर जारी किया जा सके।

भवदीय,

26/3

आयुक्त

क्षेत्रीय विकास, इंगानप,
बीकानेर।

प्रतिलिपि: निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु उक्त कार्यक्रम ई-मेल पर प्रस्तुत/प्रेषित है एवं विभागीय वेबसाईट www.cad.rajasthan.gov.in पर भी उपलब्ध है:-

1. शासन सचिव (मुख्य मंत्री) मुख्य मंत्री कार्यालय राजस्थान, जयपुर।
2. शासन सचिव, जल संसाधन, राज0 जयपुर।
3. शासन सचिव, सीएडी एवं जल उप0 विभाग, राज, जयपुर।
4. अध्यक्ष, इन्दिरा गांधी नहर मण्डल, जयपुर।
5. संभागीय आयुक्त, बीकानेर /जोधपुर।
6. मुख्य अभियन्ता, इन्दिरा गांधी नहर परियोजना बीकानेर /अति0 मुख्य अभियन्ता, इन्दिरा गांधी नहर परियोजना, जैसलमेर।
7. मुख्य अभियन्ता, सिंचित क्षेत्र विकास इंगानप, बीकानेर।
8. जिला कलेक्टर, बीकानेर/श्रीगंगानगर/ जैसलमेर/ हनुमानगढ़/ चुरू/ जोधपुर/ नागौर/ बाड़मेर।
9. अति0 मुख्य अभियन्ता, जन स्वा0 अभि0 विभाग, राजीव गांधी लिफ्ट केनाल, जोधपुर।
10. अति0 मुख्य अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभि0 विभाग, बीकानेर।
11. अति0 मुख्य अभियन्ता सतर्कता एवं रेगुलेशन, इंगानप, बीकानेर।
12. अधीक्षण अभियन्ता, रेगुलेशन, इंगानप, बीकानेर।
13. अधीक्षण अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभि विभाग, नागौर लिफ्ट, परियोजना वृत, नागौर।
14. अधीक्षण अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभि विभाग, बाड़मेर लिफ्ट परियोजना वृत, बाड़मेर।
15. संयुक्त निदेशक कृषि, बीकानेर/श्रीगंगानगर।
16. उप निदेशक, कृषि एवं भू-सर्वेक्षण, बीकानेर।
17. उप निदेशक कृषि विस्तार, सीएडी, इंगानप, बीकानेर।
18. जन संपर्क अधिकारी, बीकानेर/जैसलमेर/श्रीगंगानगर/हनुमानगढ़/चुरू को भेजकर लेख है कि उपरोक्त कार्यक्रम का प्रमुख समाचार पत्रों में जन साधारण की जानकारी हेतु समुचित प्रचार-प्रसार करवाना सुनिश्चित करें।
19. निजी सचिव कृते आयुक्त क्षेत्रीय विकास, इंगानप, बीकानेर।

26/3
आयुक्त
क्षेत्रीय विकास, इंगानप,
बीकानेर।